



श्रीमान् 927/14-212
श्रीमान् 13/13-00
S. D. M
Khakra (Baghat)
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् 18-8-2003

Manager
Sant. Gopichand Education
& Welfare Society
Baghat (H.P.)

न्यायालय उपजिलाधिकारी खोकडा

वाद संख्या-14 सन् 2003 ई०
सन्त गोपीचन्द ऐजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाईटी अहेडा द्वारा प्रबन्धाक रामकरण
पुत्र गोपीचन्द ।

बनाम
ग्राम समता हरचन्दपुर द्वारा ग्राम प्रधान हरचन्दपुर परगना बागपत तहसील
खोकडा जनपद बागपत ।

अन्तर्गत धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम मौजा हरचन्दपुर
तहसील खोकडा जनपद बागपत ।

आदेश

प्रतिलिपि विभागावली प्रस्तुत । तह० की आख्या दि० 16-8-2003 के अनुसार खासरा नम्बर
149 मि० रकबा 2-665 हे० लगान 140-88 पैसे स्थित मौजा हरचन्दपुर में वादी
कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है । वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र
में उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक
भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है ।

अतः तह० की आख्या दि० 16-8-2003 तथा वादी
के प्रार्थना पत्र के आधार पर खासरा नम्बर 149 मि० रकबा 2-665 हे० लगान
140-88 पैसे स्थित मौजा हरचन्दपुर पर वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज
बनाना चाहता है । इसलिये उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम
के अन्तर्गत भू० राजस्व से मुक्त कर अकृषिक घोषित किया जाता
है । तदनुसार परवाना अमल बरामद जारी हो । आदेश की एक प्रति उपनिर्देशक
खोकडा के कार्यालय में भोजी जाये । काप आ० का० पत्रावली वाहिल व्यक्तर हो ।

नकल कर्ता
तुलना कर्ता

॥ एस० के० शर्मा ॥
उपजिलाधिकारी
खोकडा

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प का मूल्य 13-00
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 14/2/12
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक 15/2/12
प्रतिलिपि देने का दिनांक 17/2/12
प्रतिलिपि भंग करने वाले के हस्ताक्षर.....



S. D. M
Khakra (Baghat)

Manager
Sant Gopichand Education
& Welfare Society
Ahera-Baghat (U.P.)